राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईटः– http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेलः– rvres.cce@gmail.com फोन न. 0141–2706736(O)

क्रमांकः–एफ.23(1289)स्था/आकाशि/RVRES/12/856 दिनांक 22 जून, 2022

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त कार्मिको को सेवानिवृति पश्चात् उपादान (ग्रेच्युटी) एवं राजकीय सेवा में नियुक्ति के उपरान्त अर्जित उपार्जित अवकाश के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत क्रम में लेख है कि, राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत राजकीय सेवा में नियुक्त कार्मिको को सेवानिवृति पश्चात् उपादान (ग्रेच्युटी) के भुगतान तथा कार्मिको द्वारा राजकीय सेवा में नियुक्ति के उपरान्त अर्जित उपार्जित अवकाश के सेवानिवृति पर नकद भुगतान के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप प्रकरणो में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो की प्रति।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
02. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 12.05.2022 के क्रम में।
03. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
05. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
06. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। (अपलोड करने हेतु)
07. रक्षित पत्रावली।

हेमन्त पारीक 21/6/22
संयुक्त निदेशक (RVRES)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

S.N. 15)

शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
पत्र प्राप्ति क्रमांक 2066
दिनांक 10/5/22.

राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

विषय :— अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का राज्य सरकार में समायोजन पश्चात सेवानिवृति पश्चात उपादान के भुगतान तथा अर्जित उपार्जित अवकाश के सेवानिवृति पर नकद भुगतान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार यह अवगत करवाया जाता है कि अनुदानित संस्था में की गई सेवा के लिए कार्मिक ग्रेच्युटी का भुगतान संबंधित संस्था से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। यदि संबंधित कार्मिक द्वारा कुल सेवा अवधि के लिये 16½ माह की परिलब्धियों अथवा ग्रेच्युटी राशि जो नियमानुसार अनुज्ञेय है (दिनांक 31–12–2016 तक रुपये 10.00 लाख तत्पश्चात् रुपये 20.00 लाख की सीमा में) जो भी कम हो, ने प्राप्त कर ली गई है तो ग्रेच्युटी पेटे राज्य सरकार द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी। पूर्व में की गई समस्त सेवा के लिये मासिक परिलब्धियों के 16½ गुणा से कम अथवा ग्रेच्युटी राशि जो नियमानुसार अनुज्ञेय है (दिनांक 31–12–2016 तक रुपये 10.00 लाख तत्पश्चात् रुपये 20.00 लाख की सीमा में) से कम राशि प्राप्त की है तो सिर्फ अन्तर राशि देय होगी। उदाहरणतः यदि 12 माह की परिलब्धियों के बराबर ग्रेच्युटी पूर्व में प्राप्त कर ली गई है तो 4½ माह की परिलब्धियों के बराबर परन्तु ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा तक तत्समय लागू नियमों के अनुसार ही राशि देय होगी। जिस अवधि में जितनी माह की सेवा ग्रेच्युटी प्रयोजनार्थ संस्था में की गई थी उस अवधि का भुगतान संबंधित संस्था द्वारा ही किया जायेगा। राज्य सेवा में समायोजित होने के उपरान्त 16½ माह की परिलब्धियों से कम परिलब्धियों के लिये जो ग्रेच्युटी राशि की अन्तर राशि नियमानुसार देय बनेगी वह राशि ही राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जायेगी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्मिकों को राज्य सरकार में समायोजन पश्चात् अर्जित उपार्जित अवकाश के अनुपयोजित शेष का सेवानिवृत्ति पर नकद भुगतान राजस्थान सेवा नियम के नियम 91बी के अनुसार 300 दिवस की सीमा में ही देय है। अतः समायोजन पूर्व अनुपयोजित अवकाश एवं सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित अवकाश का शेष मिला कर 300 दिवस की सीमा में ही भुगतान किया जाये। यदि कार्मिक ने समायोजन पूर्व 300 दिवस का अनुपयोजित अवकाश का नकद भुगतान प्राप्त कर लिया है तो सेवानिवृत्ति पर कोई भुगतान देय नहीं होगा और यदि 300 दिवस से कम का भुगतान प्राप्त किया है तो शेष दिवस का नकद भुगतान किया जा सकता है।

यह प्रकरण आई.डी. संख्या 102200357 पर वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

2/5/22

(एस. जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव–।।

संयुक्त शासन सचिव,
शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

अशा.टीप संख्या प.12(2)वित्त/नियम/2014पार्ट
जयपुर, दिनांक : 02 MAY 2022

Room No. 5211, Second Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227868 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail dsfrules@rajasthan.gov.in